न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट दीगोद, कोटा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी - **नेहा वर्मा, आर.जे.एस.**
दाण्डिक प्रकरण संख्या - 190/2012
सी.आई.एस.नम्बर - 1984/2014
सी.एन.आर.नम्बर - RJKT16-000129-2012
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. - 40/2010, पुलिस थाना - सीमलिया

राजस्थान राज्य बनाम कालूलाल वगैरह

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता

-::: **निर्णय** :::- **दिनांक 02-07-2026**

प्रथम भाग

A.

फरियादी	राजस्थान सरकार
फरियादी की ओर से उपस्थित	विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री लोकेश राठौर
अभियुक्त का नाम व विवरण	1.कालूलाल पुत्र जोधा, 2.सत्यनारायण पुत्र कालू,**(फौत होने से कार्यवाही ड्रोप दिनांक 02-07-2026)** निवासीगण कराडिया, थाना सीमलिया, जिला कोटा, राज.।
अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित	विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल खण्डेलवाल

B.

अपराध की दिनांक	02-03-2012
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	02-03-2012
आरोपपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	25-05-2012
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	04-08-2018
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	04-08-2018
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	निल
निर्णय दिनांक	02-07-2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	02-07-2026

Authenticated Document

C.

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	पारित दण्डादेश
1	कालूलाल	25-05-2012		341, 323, 325, 34 आईपीसी	दोषसिद्धि	02-07-2026

- द्वितीय भाग -

:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय पक्ष के साक्षीगण की सूची ::

A.- अभियोजन साक्षीगण -

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)**
पी.डब्ल्यू. 01	डॉ. राजेश सामर	चिकित्सकीय साक्षी
पी.डब्ल्यू. 02	महेन्द्र कुमार	रेडियोग्राफर साक्षी
पी.डब्ल्यू. 03	रामगोपाल	शिकायतकर्ता साक्षी
पी.डब्ल्यू. 04	मनभर	पीडिता/मजरूबा
पी.डब्ल्यू. 05	सुधीर कुमार	चालान पेशकर्ता साक्षी
पी.डब्ल्यू. 06	राधेश्याम	नक्शा मौका साक्षी
पी.डब्ल्यू. 07	बृजराज सिंह	अनुसंधान अधिकारी

B.- बचाव साक्षीगण -

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)**
-	NIL	-

C.- न्यायालय साक्षीगण -

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)**
-	NIL	-

Authenticated Document

:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय पक्ष के प्रदर्श की सूची ::

A.- अभियोजन पक्ष -

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1	प्रदर्श पी-01	चोट प्रतिवेदन रामगोपाल
2	प्रदर्श पी-02	एक्स-रे कवर नोट
3	प्रदर्श पी-03	तहरीर रिपोर्ट
4	प्रदर्श पी-04	चाक एफआईआर
5	प्रदर्श पी-05	नक्शा मौका
6	प्रदर्श पी-06	पुलिस बयान राधेश्याम

B.- बचाव पक्ष -

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
-	NIL	-

C.- न्यायालय पक्ष -

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
-	NIL	-

D.- भौतिक वस्तुएं -

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
-	NIL	-

1. हस्तगत प्रकरण का उद्भव दिनांक 25-05-2012 को पुलिस थाना सीमलिया द्वारा आरोप पत्र पेश किये जाने से हुआ, जिसका हस्तगत निर्णय के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02-03-2012 को फरियादी श्री रामगोपाल ने उप० थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 02-03-2012 को वह करीब 2.30 बजे दिन की बात है वह व उसकी घरवाली मनभर दोनों खेत से सरसों उठाकर घर आए थे, वह उनके घर के बाहर चबूतरी पर बैठा था कि कालूलाल पुत्र जोधा व उसका लडका सत्यनारायण दोनों आए और आते ही उससे गाली गलौच करने लगे वह उठकर जाने लगा तो सत्यनारायण ने उसे आडे फिर कर रोक लिया व कालूलाल ने उसके पास की लकडी की उसके मारी जो उसके बाएं हाथ में लगी व आपस में झामकझ्रुमा होने से ललाट पर मामूली चोट आई। उसकी पत्नी मनभर बाई ने उसका बीच बचाव किया नहीं तो ज्यादा

मारपीट करते मौके पर राधेश्याम केसरीलाल बैरवा मौजूद था, जिन्होंने घटना देखी है ....इत्यादि।

3. उक्त तहरीर के आधार पर थानाधिकारी, थाना सीमलिया, कोटा ग्रामीण द्वारा मुकदमा नंबर 40/2012 अन्तर्गत धारा 341, 323, 34 भारतीय दण्ड संहिता में प्रकरण दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण कालूलाल व सत्यनारायण के विरुद्ध धारा 341, 323, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता में अपराध प्रमाणित पाये जाने से आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी किया गया।

4. तत्पश्चात् बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण को अपराध धारा 341, 323, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन व समझकर अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर, अन्वीक्षा चाही, जिस पर साक्ष्य अभियोजन प्रारम्भ की गयी।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 01 लगायत पी.डब्ल्यू. 07 को परीक्षित कराया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-01 लगायत प्रदर्श पी-06 के रूप में पेश कर प्रदर्शित कराते हुए साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गई।

6. **प्रकरण में अभियुक्त सत्यनारायण की फौत होने व उसकी तस्दीकशुदा फौतगी रिपोर्ट दिनांक 15-02-2025 प्राप्त हुई, जिसके चलते उक्त अभियुक्त के विरुद्ध आज दिनांक 02-07-2026 को कार्यवाही ड्रोप की गई। प्रकरण में अभियुक्त कालूलाल की हद तक विचारण शेष है।**

7. तत्पश्चात् अभियुक्त कालूलाल के कथन धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता/313 सीआरपीसी के तहत लिये गये, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरुद्ध आयी अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा समाप्त की गई।

8. बहस अन्तिम उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का मुख्य तर्क रहा कि प्रकरण में परिवादी व मौके के गवाहों के कथनों में विरोधाभास है। परिवादी मौके पर अपनी पत्नी का होना तथा उसके साथ मारपीट करना कहता है, परंतु अन्य गवाह मनभर बाई घटना के बाद मौके पर आना बताती है। इसके अतिरिक्त जिस गवाह को अभियोजन पक्ष ने मौके के गवाह के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया है, उक्त गवाह प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित होकर अभियोजन कहानी के विपरीत कथन करता है। प्रकरण में अन्य किसी भी महत्वपूर्ण गवाह के बयान लेखबद्ध नहीं हुए हैं, ऐसे में अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

9. जिसके विरोध में अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित होता है। अंत में अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित

Authenticated Document

किये जाने का निवेदन किया।

10. उभय पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक गंभीरता से अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का परिशीलन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रकरण के निस्तारण हेतु मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है किः-

(i) क्या अभियुक्त कालूलाल द्वारा दिनांक 02-03-2012 को समय 2.30 पीएम बजे, वाके मौजा कराडिया, पुलिस थाना सीमलिया में अन्य साथी मुल्जिम के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी रामगोपाल व उसकी पत्नी का सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ स्वैच्छया कुन्दालय साधन से मारपीट कर साधारण एवं फरियादी रामगोपाल के साथ कुंदालय साधन से मारपीट कर गंभीर उपहति कारित की?

(ii) क्या अभियोजन ने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया? यदि हां तो, दण्ड की समुचित मात्रा क्या होगी?

11. सर्वप्रथम हम विचारणीय बिन्दु संख्या एक के संदर्भ में पत्रावली पर प्रस्तुत हुई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो अभियोजन पक्ष ने कुल 07 गवाहों के बयान लेखबद्ध कराते हुए कुल 06 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये हैं, जिस समस्त साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण इस प्रकार हैः-

12. **गवाह पी.डब्ल्यू. 1 डॉ. राजेश सामर,** जो चिकित्सकीय साक्षी है, ने मुख्य परीक्षण में बताया कि दिनांक 02.03.2012 को वह सीएचसी सुल्तानपुर में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। थानाधिकारी सीमलिया की तहरीर पर मजरूब रामगोपाल पुत्र प्रभुलाल, निवासी कराडिया के शरीर पर आई चोटों का मुआयना किया था, जिसके शरीर पर चोट नंबर 1- सूजन 10 गुणा 4 सेमी बांयी भुजा पर, चोट नं.-2 खरोच 2 गुणा 1 सेमी सिर के बांयी तरफ पायी गयी। उक्त दोनों चोटे कुंद हथियार से आना पाया गया। चोट संख्या 2 सामान्य प्रकृति की थी। चोटो की अवधि 4 घंटे के भीतर की थी। चोट संख्या 1 के लिए एक्सरे की सलाह दी गई थी। बाद एक्सरे चोट नंबर 1 गंभीर प्रकृति की पाई गई। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-01 है, जिस पर ए से बी दो जगह उसके हस्ताक्षर है तथा सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह है तथा ई से एफ उसकी अंतिम राय है। एक्सरे कवरनोट प्रदर्श पी-02 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा सी से डी उसकी राय है।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** उक्त फरियादी ने कथन किया कि **उक्त सभी चोटे कठोर धरातल पर गिरने पडने से आ सकती है, ऐसे संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। चोट संख्या 1,2,3 सामान्य प्रकृति की चोटे हैं।**

13. **गवाह पी.डब्ल्यू. 02 महेन्द्र कुमार,** जो प्रकरण में रेडियोग्राफर

साक्षी है, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 10.03.2012 को वह सीएचसी सुल्तानपुर में सहायक रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत था। उस दिन रामगोपाल पुत्र प्रभुलाल का दांये हाथ का एक्सरे चिकित्साधिकारी डॉ. राजेश की राय से उनकी उपस्थिति में किया था। एक्सरे कवरनोट प्रदर्श पी-02 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा ई से एफ कवरनोट मजरूब का पहचान चिह्न है। एक्सरे प्लेट पर उसके हस्ताक्षर है।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** उक्त गवाह ने कथन किया कि **पुलिस तहरीर पर ही उसने एक्स-रे किया था।**

14. **गवाह पी.डब्ल्यू. 03 रामगोपाल,** जो प्रकरण में शिकायतकर्ता/मजरूब साक्षी है, ने मुख्य परीक्षण में बताया कि बयान लेखबद्ध से 12-13 साल पहले, दिन के दो तीन बजे करीब वह और उसकी घरवाली, सरसो उठाकर घर पर आये थे। वह घर पर बैठा था। उसकी पत्नी जानवरों को चारा डाल रही थी। उसी समय कालू और उसका लडका सत्यनारायण, रोड की तरफ से आये। कालूलाल, उसके साथ गाली गलौच करने लगा और कालू ने उसके थप्पड मार दिया। तभी उसका भाई वहा आ गया, जिसने कालूलाल को समझाया। कालूलाल के हाथ में लकडी थी, जिसकी कालूलाल ने उसके मारी। उसकी पत्नी मनभर बाई ने बीच बचाव कराया तो उसके साथ भी मारपीट की। राधेश्याम और केसरी लाल मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने घटना देखी थी। उसने घटना की थाना सीमलिया में रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 व चाक एफआईआर प्रदर्श पी-04 है, जिस पर ए से बी पर उसके हस्ताक्षर है। उसके घटना में आयी चोटो का पुलिस ने मेडिकल करवाया था। घटना में उसका उल्टा हाथ कालूलाल ने तोड दिया था।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि **उसने बीस हजार रुपए कालू को उधार दे रखे थे और पैसों का विवाद था। रिपोर्ट उसने नहीं लिखी, वह बेहोश था और पुलिस वालों ने उनकी मर्जी से लिखी थी, इसलिए बीस हजार रुपए मांगने वाली बात रिपोर्ट में नहीं लिखी गई हैं गाली गलौच होने के बाद लकडी की दी। पुलिस में उसके बयान हुए थे। उसकी पत्नी वहीं थी, उसने लडाई देखी थी।**

15. **गवाह पी.डब्ल्यू. 04 मनभर,** जो प्रकरण में मौके की साक्षी है, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि बयान लेखबद्ध से 14-15 साल पहले दिन के दो तीन बजे करीब वह और उसका पति घर पर थे। उसके पति घर के बाहर चबूतरे पर बैठे थे। वह जानवरों को चारा डाल रही थी। उसी समय कालू और उसका लडका सत्यनारायण रोड की तरफ से आया और कालूलाल, उसके साथ गाली गलौच करने लगा और कालू ने उसके पति के साथ लकडी की उल्टे हाथ में मार दी, जिससे उसके पति का हाथ टूट गया। घटनास्थल पर केसरी लाल था। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा

मौका प्रदर्श पी 5 बनाया, जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** उक्त गवाह ने कथन किया कि **वह गाय भैसों के बाडे में चारा डालने गई थी। उसने रामगोपाल व कालूलाल को बात करते हुए नहीं देखा और वह जब आई तो उसे रामगोपाल बेहोश पडा हुआ मिला। झगडा उसके आने से पूर्व हो चुका था। यह सही है कि बीस हजार रुपए कालूलाल ने मारपीट होने के लगभग छः माह बाद दे दिए थे।**

16. **गवाह पी.डब्ल्यू. 05 सुधीर कुमार,** जो प्रकरण में चालान पेशकर्ता साक्षी है, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 24.03.2012 को वह सीमलिया थाने पर एसएचओ के पद पर था। उस दिन मु.नं. 40/2012 धारा 323, 325, 341, 34 भा.दं.सं. के अनुसंधान अधिकारी बृजराज सिंह एएसआई द्वारा बाद अनुसंधान पत्रावली उसके समक्ष पेश की गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मुल्जिम कालूलाल और सत्यनारायण के विरूध धारा 323, 325, 341, 34 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट नम्बर 30/2012 का चालान कताकर न्यायालय में पेश किया।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** उक्त गवाह ने कथन किया कि **बृजराज जी एएसआई साहब ने बाद अनुसंधान पत्रावली उसके समक्ष प्रस्तुत की।**

17. **गवाह पी.डब्ल्यू. 06 राधेश्याम जो प्रकरण में नक्शा मौका प्रदर्श पी 05 का औपचारिक साक्षी है, जो प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण, प्रतिपरीक्ष एवं जिरह द्वारा एपीओ में अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं की है।**

18. **गवाह पी.डब्ल्यू. 07 बृजराज सिंह,** जो प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 02.03.2012 को वह थाना सिमलिया में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन फरियादी रामगोपाल, प्रभूलाल निवासी कराडिया द्वारा उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट उसके समक्ष पेश की गयी। मजरुब के चोटे देखी गयी तो बांये हाथ की कलाई पर चोट आयी हुयी थी तथा दर्द होना बता रहा था। ललाट पर बांयी तरफ खरोचनुमा चोट आयी हुयी थी। तहरीर रिपोर्ट के मजमून से मामला अपराध धारा 323, 341, 34 आईपीसी का पाये जाने पर मुकदमा नंबर 40/2012 दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 पर सी से डी पुलिस कार्यवाही अंकित है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी-04 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान गवाह मनभर बाई राधेश्याम, रामगोपाल, केसरी लाल के बयान उनके कथानुसार लेखबद्व किये गये। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-05 मनभर बाई की निशादेही से

बनाया गया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर मनभर बाई का अंगूठा निशानी है। प्रकरण में रामगोपाल के आयी चोटो का मेडिकल करवाया जाकर एमएलसी और एक्सरे शामिल पत्रावली किये गये। मजरूब के चोट नंबर 1 गंभीर प्रकृति की पायी जाने पर प्रकरण में धारा 325 आईपीसी ऐड की गयी। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम कालूलाल, सत्यनारायण के विरूद्ध धारा 323, 341, 325, 34 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु एसएचओ को सुपुर्द की थी, जिन्होंने चालान न्यायालय में पेश किया।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** उक्त गवाह ने कथन किया कि रामगोपाल के कालूलाल द्वारा थप्पड मारने वाली बात तहरीरी रिपोर्ट में नहीं लिखी है बयान में लिखी है। रामगोपाल के बयान धारा 161 सीआरपीसी में रामगोपाल ने कहा कि उसने लकडी की कालू के मारी जो उसके पीछे सिर में लगी। राधेश्याम ने अपने बयान धारा 161 सीआरपीसी में कालूलाल के रामगोपाल ने कडी की मारने वाली बात कहीं थी। उनकी आपस में कहासुनी हुई थी।

19. धारा 341, 323, 325, 34 आईपीसी का निष्कर्षः-

उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में न्यायालय को यह देखना है कि **क्या अभियुक्त के द्वारा स्वयं के सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी को सदोष अवरोध कारित करते हुए उसके साथ लकडी से मारपीट कर उसे साधारण तथा घोर उपहति कारित की गई है अथवा नहीं?**

उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष ने कुल 07 गवाहों को स्वयं की ओर से पेश कर परीक्षित करवाया है, जिसमें गवाह पीडब्ल्यू 3 रामगोपाल प्रकरण का परिवादी व मजरूब होकर महत्वपूर्ण गवाह है। उक्त गवाह अपने बयानों में कालूलाल के द्वारा उसके साथ लकडी से मारपीट करना कहते हुए मौके पर उसकी पत्नी मनभर द्वारा बीच बचाव करवाना तथा राधेश्याम तथा केसरीलाल का मौके पर उपस्थित होना कहता है। इसी क्रम में प्रकरण के गवाह पीडब्ल्यू 4 मनभर बाई है, जो उसके आने के पूर्व झगडा हो जाना तथा रामगोपाल को बेहोश पडे हुए देखना कहती है। चूंकि प्रकरण का परिवादी रामगोपाल उसकी पत्नी मनभर द्वारा बीच बचाव करवाना अपने बयानों में बताता है, परंतु उसकी पत्नी अपने बयानों में उसके आने के पूर्व झगडा हो जाना बताती है, परंतु उक्त गवाह ने मौके पर रामगोपाल को बेहोश पडा होना अपने बयानों में बताया है, जो कि घटना के बाद का आचरण तथा परिस्थिति दर्शित करता है, इसके अतिरिक्त गवाह पीडब्ल्यू 6 के रूप में गवाह राधेश्याम को अभियोजन पक्ष ने मौके के गवाह के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया है, चूंकि उक्त गवाह प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है और रामगोपाल तथा कालूलाल के बीच गाली-गलौच होना अपने बयानों में बताते हुए स्वयं के दिए गए पुलिस बयान प्रदर्श पी

6 से इंकार करता है, अपितु उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष ने मौके के गवाह के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया है, परंतु उक्त गवाह अभियोजन कहानी के विपरीत कथन अपने सशपथ बयानों में करता है। सामान्यतः मारपीट के प्रकरणों में परिवादी/मजरूब के बयान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जिसकी पुष्टि विशेषज्ञ साक्षी के कथनों से होना एक आवश्यक तत्व/घटक होता है। गवाह पीडब्ल्यू 1 डॉ. राजेश सामर प्रकरण में मजरूब रामगोपाल के चोटों का मुआयना करने का गवाह है, जो परिवादी के एक चोटे सामान्य प्रकृति की तथा दूसरी चोट गंभीर प्रकृति की होना बताते हैं, इसी क्रम में प्रकरण का गवाह पीडल्ल्यू 2 महेन्द्र प्रकरण में परिवादी की चोटों का एक्स-रे करने का गवाह है, ऐसे में परिवादी के कथनानुसार अभियुक्त कालूलाल के द्वारा उसके साथ कुंदालय लकडी से मारपीट की गई है, उक्त कथनों की पुष्टि विशेषज्ञ साक्षी डॉ. के बयानों से पत्रावली पर हुई है, अपितु प्रकरण के मौके के गवाह मनभर बाई मौके पर बाद में आना बताती है, परंतु उक्त गवाह मौके पर उसके पति रामगोपाल को मौके पर बेहोश पडे होना दर्शित करती है, जिससे भी मारपीट की घटना की सम्पुष्टि पत्रावली पर हुई है। इसके अतिरिक्त चूंकि प्रकरण के मौके के गवाह राधेश्याम प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित रहा है, परंतु मारपीट के प्रकरणों में मुख्यतः परिवादी के कथन महत्वपूर्ण होते हैं और हाजा प्रकरण में मारपीट के कथनों की पुष्टि विशेषज्ञ साक्षी के कथनों से भी पत्रावली पर हुई है।

साथ ही किसी भी प्रकरण में गवाह की संख्या नहीं बल्कि गवाह की गुणवत्ता महत्ता रखती है, इसी प्रकार के प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 में भी वर्णित है, तो यदि ऐसे मजरूब/परिवादी की साक्ष्य सत्य, विश्वसनीय तथा तटस्थ हो तथा उसकी पुष्टि विशेषज्ञ साक्षी डॉक्टर के बयानों से होती हो तो प्रकरण में अभियुक्त की दोषसिद्धि को आधार बनाया जा सकता है। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने न्यायिक दृष्टांत भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह बनाम हरियाणा राज्य, ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2552 में यह प्रतिपादित किया गया है कि एक आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक की उसकी गवाह को निरस्त करने के कोई सुदृढ़ आधार अभिलेख पर न हो।

साथ ही उक्त वर्णित अपराध अभियुक्त द्वारा उसके सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जाना भी प्रमाणित होता है, अतः ऐसे में अभियुक्तगण आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 34 आईपीसी में दोषसिद्ध होने योग्य हैं।

20. अन्त में उपर्युक्त समग्र विवेचन, विश्लेषण व मूल्यांकन पश्चात् न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त कालूलाल द्वारा दिनांक 02-03-2012 को समय 2.30 पीएम बजे, वाके मौजा कराडिया, पुलिस थाना सीमलिया में अन्य साथी मुल्जिम के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी रामगोपाल व उसकी पत्नी का सदोष

Authenticated Document

अवरोध कारित कर उनके साथ स्वैच्छया कुन्दालय साधन लकडी से मारपीट कर साधारण एवं फरियादी रामगोपाल के साथ कुंदालय साधन से मारपीट कर उसे गंभीर उपहति कारित की। लिहाजा, अभियुक्त कालूलाल को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 34 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित है।

-:: आदेश ::-

21. **परिणामस्वरूप अभियुक्त कालूलाल पुत्र जोधा, निवासी कराडिया, थाना सीमलिया, जिला कोटा, राज. को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।**

प्रकरण के अन्य अभियुक्त सत्यनारायण की फौत होने व उसकी तस्दीकशुदा फौतगी रिपोर्ट दिनांक 15-02-2025 प्राप्त हुई, जिस पर आज दिनांक 02-07-2026 को उसके विरुद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई।

अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत तारीख पेशी के जमानत मुचलके एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

(नेहा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीगोद

22. **सजा के बिन्दु पर सुना गया।** अधिवक्ता अभियुक्त ने जाहिर किया कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है, उनका पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुये परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी ने इसका विरोध करते हुए समुचित दंड से दंडित किये जाने का निवदेन किया।

23. उभयपक्ष के तर्कों पर विचार किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्तगण वर्ष 2012 से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अतः प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति को मद्देनजर रखते हुये अभियुक्त को तत्काल दण्डित करने की बजाए उसे सुधरने का अवसर देते हुए परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: दण्डादेश ::-

24. **परिणामतः अभियुक्त कालूलाल पुत्र जोधा, निवासी कराडिया, थाना सीमलिया, जिला कोटा, राज. को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता के दोषसिद्धि आरोप में तुरन्त कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जाकर धारा 4(1) परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त 10,000/- रूपए का स्वयं का मुचलका व इसी राशि की जमानत, एक वर्ष की अवधि के**

लिए उक्त अवधि में परिशांति बनाए रखने, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने व सजा हेतु तलब करने पर न्यायालय में उपस्थिति बाबत पेश कर तस्दीक करवा दे व पूर्व में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं लेने बाबत स्वयं का शपथ पत्र पेश करें तो परिवीक्षा पर रिहा किया जावे। साथ ही अभियुक्त कालूलाल धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 1,000/- रूपये, इस प्रकार कुल 1000/- अक्षरे एक हजार रूपये, बतौर अभियोजन व्यय न्यायालय में जमा करावे, तो अभियुक्त को परिवीक्षा पर रिहा किया जावे।

माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437ए, दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त छः माह की अवधि के लिए दस हजार रूपये का मुचलका व इसी राशि की जमानत प्रस्तुत करेगा।

(नेहा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीगोद

25. यह निर्णय व आदेश आज दिनांक 02-07-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

(नेहा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीगोद

VINOD KUMAR PANCHESHWAR
Stenographer grade III
Digitally signed by VINOD KUMAR PANCHESHWAR
Date: 2026.07.02 16:47:27 +0530